

बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा - 805110
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 08324-212253 (कार्यालय)
08324-212240 (अपाराध)
08324-212904 (कैला)
email: dm-nawadah.bih@nic.in

पत्रांक-.../गो0, दिनांक-.../01/2025

प्रेषक,

रवि प्रकाश,
गा0प्र0रो0,
जिला पदाधिकारी,
नवादा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रजौली।

विषय :-

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के नवादा जिला में "प्रगति यात्रा" कार्यक्रम के अवसर पर सड़क की मरम्मत कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा नवादा जिला अन्तर्गत "प्रगति यात्रा" कार्यक्रम फरवरी में संभावित है। इस अवसर पर रोह-सिउर रोड से कटैया तक लम्बाई लगभग 01 (एक) कि0मी0 (2) रोह-भट्टा सिउर रोड से सरकंडा तक लम्बाई लगभग 05(पांच) कि0मी0 (3) सरकंडा से महावरा रोड लम्बाई लगभग 1.30 कि0मी0 तथा बहादुरपुर से अलीविगहा लम्बाई लगभग 1.10 कि0मी0 की मरम्मत प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना है।

अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश है कि उक्त सभी वर्णित सड़क की मरम्मत पूर्ण करते हुए कृत कार्रवाई संबंधी ठोसता प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
25/1/25
जिला पदाधिकारी,
नवादा।



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

MR (3054)

2024-2025



Thali To Kakolat

DISTRICT	:	Nawada	
DIVISION	:	Rajauli	
BLOCK	:	Govindpur	
TOTAL LENGTH OF ROAD	:	0.222	KM
TOTAL CONSTRUCTION LENGTH OF ROAD	:	0.222	KM
PART-A TOTAL COST OF INTIAL RECTIFICATION IN SURFACE RENEUAL	:	16.595	Lac
AVERAGE COST PER KM	:	74.751	Lac
TOTAL COST OF PROJECT IN LACS =	:	16.595	Lac

Submitted by
Executive Engineer
RWD Works Division Rajauli



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

MR (3054)

2024-2025

BIHAR



Thali To Kakolat

DISTRICT	:	Nawada	
DIVISION	:	Rajauli	
BLOCK	:	Govindpur	
TOTAL LENGTH OF ROAD	:	0.222	KM
TOTAL CONSTRUCTION LENGTH OF ROAD	:	0.222	KM
PART-A TOTAL COST OF INTIAL RECTIFICATION IN SURFACE RENEUAL	:	16.694	Lac
AVERAGE COST PER KM	:	75.199	Lac
TOTAL COST OF PROJECT IN LACS =	:	16.694	Lac

Submitted by
Executive Engineer
RWD Works Division Rajauli

MR (3054)

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:-- Govindpur

District:- Nawada

Construction Length of Road:-- 0.222 KM

Name of Road:-- Thali To Kakolat

SL. No.	Item of Work	Amount
A	TOTAL COST OF CONSTRUCTION	13.474 Lacs
	LABOUR CESS @ 1%	0.135 Lacs
	SEIGNIORAGE FEE @ 10%	0.539 Lacs
	GST @ 18%	2.547 Lacs
	TOTAL(A)	16.694 Lacs
	TOTAL PROJECT COST	16.694 Lacs

10/4/25
15/4/25
Junior Engineer

Asstt. Engineer

15/4/25
Executive Engineer

A.A. Detail-

A.A. vide letter no- 568 dt 17/03/2025

SE
RWD

Const cost Rs 16,694 Lacs

Technically sanctioned for Rs 16,694 Lacs

Ruppes Sixteen Lacs Sixty nine thousand

Cost of Road

16.4.25

Supersintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Gaya

Supersintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Gaya

MR (3054)

NAME OF ROAD: Thali To Kakolat

DISTRICT: Nawada

BLOCK: Govindpur

DIVISION: Rajauli

LENGTH OF CONSTRUCTION ROAD (in 0.222

LENGTH OF 1ST PAVEMENT 0

LENGTH OF 2ND PAVEMENT 0

Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (LAKHS)
PART A	INITIAL RECTIFICATION INCLUDING SURFACE RENEWAL	
1	Earthwork	1.163
2	CBP SP	5.825
3	WBM GRADE III	6.486
GRAND TOTAL OF INITIAL RECTIFICATION INCLUDING SURFACE RENEWAL =		13.474
AVERAGE COST PER KM (IN LACS) =		60.694

[Signature]
P.
RWD

AE
RWD

15.04.25
EE
RWD

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0310 (अ0310)-4515-01-07/2025 पार्ट-1-568 /पटना, दिनांक-17-03-2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0310/गै0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय -

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कुल 17 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि०मी०) एवं स्तम्भ-8 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रु० 860.06700 लाख रुपये मात्र है, पर (कुल 17 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कुल 17 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतियेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तम्भ 08 में अंकित कुल राशि 860.06700 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl. No.	District	Division	Block	Name of Road	कि०मी० रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	Cost. Of Upgradation/ Strengthening with surface (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nawada	Rajauli	Govindpur	Thali To Kakolat	0.222	16.59500	16.59500
2	Nawada	Nawada	Kawakol	Construction of Approach Road of Kadhar Bridge	0.405	52.02800	52.02800
3	Bhojpur	Ara	Koilwar	PWD Rajapur Path Se High School Tak	0.800	49.32200	49.32200
4	Bhojpur	Ara	Koilwar	High School Se Rajapur Gaon and Rajapur Pokhara Tak	0.600	42.49500	42.49500
5	Patna	Danapur	Phulwarisarif	NH 83 To Mahuli Railway Halt Via Mahuli Village (Part I)	0.500	28.70800	28.70800
6	Saran	Chapra-1	Garkha	Mahmada To Larpur (Near Bridge)	1.450	46.493	46.493
7	Jehanabad	Jehanabad	Ghoshi	Kajisaray To Sahobigha	3.520	262.481	262.481
8	Darbhanga	Darbhanga-2	Singhwara	NH 57 To Vrihad Ashray Grih	0.215	42.73600	42.73600
9	Darbhanga	Darbhanga-2	Singhwara	NH 57 Shastri Chowk to Sirmi Village Road	0.600	39.44700	39.44700
10	Darbhanga	Darbhanga-2	Singhwara	Construction of Ramp/ Approach Road for, A-Helipad, B-Vip Parkin, C-Platform for VIP Meeting	0.115	9.89900	9.89900
11	Saran	Chapra-1	Chapra Sadar	Approach Road Near Sadar Block	0.085	12.84900	12.84900
12	Saran	Chapra-1	Chapra	Hawai Adda to PWD Road	0.259	22.12000	22.12000
13	Siwan	Siwan-1	Pachrukhi	Siwan Tarwara NH Path to Papaur Se papaur Panchayat Sarkar Bhawan tak	2.500	64.33400	64.33400
14	Siwan	Siwan-1	Pachrukhi	Pachrukhi Bypass Path NH 85 to Mallupur tak	1.100	26.52300	26.52300
15	Madhubani	Phulparas	Khatoon (Laukaha)	Durgipatti (Bijli Mandal Ka Ghar) To Hudra Harijan Tola	3.145	112.14100	112.14100
16	Nawada	Rajauli	Roh	Roh Star Road To Katarya	0.760	22.52700	22.52700
17	Nawada	Nawada	Nawada Sadar	Nawada Main Road To III NH-20	0.540	9.36900	9.36900
				TOTAL	16.816		860.06700

2. गांव संख्या 37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य गांव विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष - 00, सधु शीर्ष 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष - 0107 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सज्जन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य विभागीय कार्य, विषय कोड - 97-4515-00-789-0107, बजट उपबंध-700 करोड़ रु0 का बजट समीक्षा प्राप्त है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक- 12888 दिनांक 03.12.2024 की तारीख 14 के अनुसार प्राप्त बजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रगण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। विगंती एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरासनामा एवं सुरसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रुप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-97/2025 पार्ट-1 में दिनांक 25.02.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रुप से कराये गये कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या - मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-97/2025 पार्ट-1 में प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरासनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुसूक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुरसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 पार्ट-I के पृ०-04 / टि० पर दिनांक-07.03.2025 को प्राप्त है।

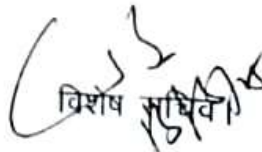
विश्वासभाजन


उज्ज्वल कुमार सिंह
विशेष सचिव

ज्ञापक- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 पार्ट-I-568 / पटना, दिनांक- 17.03.2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव।

ज्ञापक- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 पार्ट-I-568 / पटना, दिनांक- 17.03.2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव वजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव।